6/8/21

पुष्कर (अजमेर)

वकील वादीया की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसपर पत्रावली आज तलब की गई, प्रार्थीया की ओर से वकील श्री मुकेश कुमार द्वारा वकालतनामा व आवेदन प्रस्तुत किया कि वादीया श्रीमती पदमा देवी का स्वर्गवास हो चुका है व वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने हेतु आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश

मुकेश कुमार

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.08.11 14:51:47 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म

म जारी हुए

22 नियम 3 सपठित धारा 151 जा.दी. आवेदनकर्ती श्रीमति पूर्णिमा की ओर से अभिभावक मुकेश कुमार लालवानी के द्वारा पेश किया जो वाद पत्रावली शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थीया के निवेदन पर आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित धारा 151 जा.दी. पर सुना गया। आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है वादीया श्रीमति पदमा देवी के स्थान पर श्रीमति पूर्णिमा को वाद पत्रावली पर रेकार्ड पर लिया गया। संशोधित शीर्षक पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

वादीया श्रीमति पूर्णिमा मय अभिभावक के द्वारा आज आवेदन पत्र वापस वाद लेने, नोट प्रेस हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अब वाद पत्र आगे चलाने की आवश्यकता नहीं रही है वाद निरस्त किया जावे। आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। वाद पत्र वापिस निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.08.11 14:51:47 IST
Reason: SelfAttested

06/8/21

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)